लीना जौहरी
आई.ए.एस.
आयुक्त एवं सचिव

1989/1-9-2017

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ
फोन : 0522-2622068 (का0)
फैक्स : 0522-2618652
e-mail : borlko@nic.in

अ. शा. पत्र संख्या 5829/4-33ए/2013 T.C.(1)
दिनांक 13-11-2017

प्रिय महोदय,

लेखपाल द्वारा किये जाने वाले कार्यों के दृष्टिगत लेखपाल सेवा को तकनीकी एवं विशिष्ट सेवा मानते हुये लेखपाल का प्रारम्भिक वेतनमान रूपया 5200-20200 व ग्रेड पे रूपया 2800/ किये जाने विषयक परिषद पत्र संख्या-6783/4-33ए/2013टी0सी0, दिनांक 24 अगस्त 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में मुझसे यह कहने की आकांक्षा की गयी है कि लेखपालों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के दृष्टिगत लेखपाल सेवा को तकनीकी एवं विशिष्ट सेवा मानते हुये लेखपाल का प्रारम्भिक वेतनमान रूपया 5200-20200 व ग्रेड पे रूपया 2800/-किये जाने हेतु परिषद पत्र संख्या-5335/4-33ए/2013टी0सी0, दिनांक 06 अक्टूबर 2017 व संख्या-5640/4-33ए / 2013 टी0सी0, दिनांक 09-11-2017 द्वारा स्मरण कराये जाने के पश्चात भी प्रकरण में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय से अभी तक परिषद को अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लेखपाल का प्रारम्भिक वेतनमान रूपया 5200-20200 व ग्रेड पे रूपया 2800/-किये जाने के प्रकरण पर शासन स्तर पर यदि निर्णय ले लिया गया हो तो लिये गये निर्णय से शीघ्र परिषद को अवगत कराने का कष्ट करे।

सादर।

भवन्निष्ठ,
13/11/17
(लीना जौहरी)

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
राजस्व अनुभाग-9,
उ0प्र0शासन,लखनऊ।

संख्या 3805/पी0एस0आर0/2017
दिनांक ..../2017

वि०स०(DD) 1/xx9
14-11-17
(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ०प्र० शासन।

6781/S(DD)/17
स. ...
कृपया प्रस्तुत करें
16/11/2017
(देवीदास)
विशेष सचिव
राजस्व विभाग
उ० प्र० शासन।

लीना जौहरी
आई.ए.एस.
आयुक्त एवं सचिव

1988/1-9-2017.

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ
फोन : 0522-2622068 (का0)
फैक्स : 0522-2618652
e-mail : borlko@nic.in

अ. शा. पत्र संख्या 5828/4-33ए/2013टी(1)

दिनांक 13-11-2017

प्रिय महोदय,

लेखपाल संवर्ग की ए0सी0पी0 विसंगति को प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे रूपया 2400/-को इग्नोर करते हुये ग्रेड पे रूपया 2800/-किये जाने विषयक परिषद पत्र संख्या -6785/4-33ए/2013, दिनांक 24 अगस्त 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में मुझसे यह कहने की आकांक्षा की गयी है कि उक्त परिषद पत्र दिनांक 24 अगस्त 2016 द्वारा अवगत कराया गया था कि शासनादेश संख्या-3145/1-9-2013-रा0-9, दिनांक 14-1-13 द्वारा दिनांक 01-12-2008 से पूर्व 14/24 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान की व्यवस्था थी तथा दिनांक 01-12-2008 से पदधारक को अगला ग्रेड वेतन ही अनुमन्य हो रहा है इसलिये लेखपाल पदधारक को प्रथम दस वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के फलस्वरूप वेतनबैण्ड प्रथम रूपया 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन 2400/-ही अनुमन्य होगा। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान में दिनांक 30-11-94 से पूर्व नियुक्त लेखपाल 16 वर्ष की समान सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे रूपया 4200/-प्राप्त कर रहे है किन्तु दिनांक 30-11-94 के बाद नियुक्त लेखपाल द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में 2800/-प्राप्त कर रहे हैं। इस विसंगति के कारण लेखपाल सम्वर्ग में दो उपवर्ग बनने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः पदोन्नति के अवसर कम होने व पदोन्नति में Stagnation के दृष्टिगत इस विसंगति को दूर करने हेतु लेखपाल संवर्ग को प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में दस वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 2400 के स्थान पर 2800 अनुमन्य किये जाने की संस्तुति मा0 परिषद द्वारा की गयी है किन्तु उक्त व्यवस्था लेखपाल संवर्ग में उत्पन्न उक्त विसंगति को दूर करने के लिये वर्ष 1994 के बाद नियुक्त लेखपालों पर ही लागू होगी। परिषद पत्र संख्या-5336, दिनांक 06 अक्टूबर 2017 व संख्या-5642/4-33ए/ 2013, दिनांक 01 नवम्बर 2017 भेजे जाने के पश्चात भी अभी तक प्रकरण में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय से अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लेखपाल संवर्ग की ए0सी0पी0 विसंगति को प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे रूपया 2400/-को इग्नोर करते हुये ग्रेड पे रूपया 2800/-किये जाने के प्रकरण पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णय से परिषद को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करे।

सादर।

भवनिष्ठ,

(लीना जौहरी)

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
राजस्व अनुभाग-9,
उ0प्र0शासन,लखनऊ।

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(देवीदास)
विशेष सचिव
राजस्व विभाग
उ० प्र० शासन।